

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

मांग संख्या 77

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1646.38	547.08	2193.46	2035.00	145.00	2180.00	1613.65	330.00	1943.65	1859.35	353.00	2212.35
वसूलियां	-19.19	-288.24	-307.43	...	-60.00	-60.00	...	-160.00	-160.00	...	-170.00	-170.00
प्राप्तियां	-316.95	...	-316.95	-320.00	...	-320.00	-350.00	...	-350.00	-340.00	...	-340.00
निवल	1310.24	258.84	1569.08	1715.00	85.00	1800.00	1263.65	170.00	1433.65	1519.35	183.00	1702.35
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	54.16	...	54.16	74.00	...	74.00	68.61	...	68.61	77.00	...	77.00
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
पत्तनों का विकास												
2. महापत्तनों का विकास	107.00	...	107.00
3. लघु पत्तनों का विकास												
3.01 लघु पत्तन	55.44	41.71	97.15	67.50	75.00	142.50	67.50	60.00	127.50	75.90	58.00	133.90
4. तेल प्रदूषण और अनुसंधान एवं विकास	3.66	...	3.66	1.00	...	1.00	0.20	...	0.20	1.00	...	1.00
जोड़-पत्तनों का विकास	166.10	41.71	207.81	68.50	75.00	143.50	67.70	60.00	127.70	76.90	58.00	134.90
सागरमाला												
5. सागरमाला												
5.01 सागरमाला स्कीमें और परियोजनाएं	96.38	...	96.38	211.00	...	211.00	96.69	...	96.69	251.00	...	251.00
5.02 सागरमाला के अंतर्गत अन्य स्कीमें	80.49	...	80.49	86.00	...	86.00	50.31	...	50.31	50.00	...	50.00
5.03 सागरमाला विकास कंपनी	...	200.00	200.00	100.00	100.00	...	100.00	100.00
5.04 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना (सीआरआईएफ) निधि को अंतरण	...	200.00	200.00	100.00	100.00	...	100.00	100.00
5.05 सीआरआईएफ से व्यय	...	-200.00	-200.00	-100.00	-100.00	...	-100.00	-100.00
निवल	176.87	200.00	376.87	297.00	...	297.00	147.00	100.00	247.00	301.00	100.00	401.00
पोत और पोत निर्माण,												
6. पोत निर्माण, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता	42.43	...	42.43	151.00	...	151.00	129.30	...	129.30	101.00	...	101.00
अंतर्देशीय जल परिवहन												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
7. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान	224.23	...	224.23	301.80	...	301.80	203.20	...	203.20	252.10	...	252.10
8. आईडब्ल्यूआई परियोजना												
8.01 ईएपी घटक	200.00	...	200.00	270.00	...	270.00	231.50	...	231.50	150.00	...	150.00
8.02 कार्यक्रम घटक	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	145.00	...	145.00
8.03 ईवीआर के तहत व्याज	76.38	...	76.38	76.50	...	76.50	76.50	...	76.50	76.50	...	76.50
जोड़- आईडब्ल्यूआई परियोजना	306.38	...	306.38	376.50	...	376.50	338.00	...	338.00	371.50	...	371.50
9. बांग्लादेश को सहायता	0.01	...	0.01
जोड़-अंतर्देशीय जल परिवहन	530.62	...	530.62	678.30	...	678.30	541.20	...	541.20	623.60	...	623.60
10. वास्तविक वसूली	-19.19	...	-19.19
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	896.83	241.71	1138.54	1194.80	75.00	1269.80	885.20	160.00	1045.20	1102.50	158.00	1260.50
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
11. महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण	8.38	...	8.38	9.60	...	9.60	9.60	...	9.60	10.60	...	10.60
12. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय	1.00	...	1.00
13. हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	188.19	...	188.19
14. कोलकाता पत्तन न्यास	100.00	...	100.00	301.90	...	301.90	175.55	...	175.55	183.00	...	183.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	296.57	...	296.57	311.50	...	311.50	185.15	...	185.15	194.60	...	194.60
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
15. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	21.10	...	21.10	21.10	...	21.10	25.00	...	25.00
अन्य												
16. नौवहन महानिदेशालय	89.86	17.23	107.09	113.60	10.00	123.60	103.59	10.00	113.59	120.25	25.00	145.25
17. दीप स्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय												
17.01 दीपस्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय	289.77	88.14	377.91	320.00	60.00	380.00	350.00	60.00	410.00	340.00	70.00	410.00
17.02 वसूली	...	-88.24	-88.24	...	-60.00	-60.00	...	-60.00	-60.00	...	-70.00	-70.00
17.03 प्राप्ति	-316.95	...	-316.95	-320.00	...	-320.00	-350.00	...	-350.00	-340.00	...	-340.00
<i>निवल</i>	<i>-27.18</i>	<i>-0.10</i>	<i>-27.28</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
जोड़-अन्य	62.68	17.13	79.81	113.60	10.00	123.60	103.59	10.00	113.59	120.25	25.00	145.25
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	359.25	17.13	376.38	446.20	10.00	456.20	309.84	10.00	319.84	339.85	25.00	364.85
कुल जोड़	1310.24	258.84	1569.08	1715.00	85.00	1800.00	1263.65	170.00	1433.65	1519.35	183.00	1702.35
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	231.28	...	231.28	153.00	...	153.00	130.80	...	130.80	103.00	...	103.00
2. बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	380.64	...	380.64	621.00	...	621.00	369.54	...	369.54	521.50	...	521.50
3. नौवहन	89.82	...	89.82	134.70	...	134.70	124.69	...	124.69	146.25	...	146.25

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
4. अंतर्देशीय जल परिवहन	506.39	...	506.39	628.30	...	628.30	499.20	...	499.20	524.50	...	524.50
5. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	53.50	...	53.50	72.00	...	72.00	67.11	...	67.11	75.00	...	75.00
6. बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजी परिव्यय	...	241.61	241.61	...	75.00	75.00	...	160.00	160.00	...	158.00	158.00
7. नौवहन पर पूंजी परिव्यय	...	17.23	17.23	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	25.00	25.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1261.63	258.84	1520.47	1609.00	85.00	1694.00	1191.34	170.00	1361.34	1370.25	183.00	1553.25
अन्य												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	50.00	...	50.00	42.00	...	42.00	99.10	...	99.10
9. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	48.61	...	48.61	56.00	...	56.00	30.31	...	30.31	50.00	...	50.00
जोड़-अन्य	48.61	...	48.61	106.00	...	106.00	72.31	...	72.31	149.10	...	149.10
कुल जोड़	1310.24	258.84	1569.08	1715.00	85.00	1800.00	1263.65	170.00	1433.65	1519.35	183.00	1702.35

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
ऋण सहकारी समितियों को उधार												
1. कोचीन बंदरगाह न्यास	...	29.00	29.00	...	26.28	26.28	...	47.65	47.65	...	33.07	33.07
2. पाराद्वीप बंदरगाह न्यास	...	176.33	176.33	...	115.00	115.00	...	137.30	137.30	...	109.50	109.50
3. वोचिदम्बरन बंदरगाह न्यास	...	17.01	17.01	...	352.57	352.57	...	132.84	132.84	...	232.06	232.06
4. जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह न्यास	...	810.31	810.31	...	600.00	600.00	...	1115.14	1115.14	...	2197.41	2197.41
5. न्यू मैंगलोर बंदरगाह न्यास	...	49.82	49.82	...	26.04	26.04	...	18.99	18.99	...	11.11	11.11
6. चेन्नई बंदरगाह न्यास	...	53.65	53.65	...	83.15	83.15	...	52.37	52.37	...	83.46	83.46
7. मुम्बई बंदरगाह न्यास	...	309.74	309.74	...	330.40	330.40	...	297.26	297.26	...	338.21	338.21
8. दीनदयाल बंदरगाह न्यास कांडला	...	203.30	203.30	...	617.79	617.79	...	270.27	270.27	...	543.55	543.55
9. मोरमंगांव बंदरगाह न्यास	...	19.47	19.47	...	195.79	195.79	...	64.39	64.39	...	85.34	85.34
10. विशाखापत्तनम बंदरगाह न्यास	...	100.28	100.28	...	110.70	110.70	...	98.21	98.21	...	290.09	290.09
11. कामराजर बंदरगाह न्यास	...	102.22	102.22	...	250.00	250.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00
12. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण	...	310.89	310.89
13. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	...	494.87	494.87	...	650.00	650.00	...	365.00	365.00	...	400.00	400.00
14. भारतीय पोत निगम	...	82.29	82.29	...	80.00	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	80.00
15. भारतीय तलकपर्ण निगम	5.00	5.00
16. स्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता	...	174.88	174.88	...	272.11	272.11	...	149.84	149.84	...	213.32	213.32

	बजट			बजट			बजट			बजट		
	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
17. सागरमाला विकास कंपनी	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
जोड़-ऋण सहकारी समितियों को उधार	...	2934.06	2934.06	...	3714.83	3714.83	100.00	3029.26	3129.26	100.00	4817.12	4917.12
जोड़	...	2934.06	2934.06	...	3714.83	3714.83	100.00	3029.26	3129.26	100.00	4817.12	4917.12

(₹ करोड़)

- सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय के खर्च के लिए है।
- लघु पत्तनों का विकास:** इसमें अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स जो नौवहन मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है, को सहायता शामिल है।
- तेल प्रदूषण और अनुसंधान एवं विकास:** यह प्रावधान अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के व्यय के लिए है।
- सागरमाला:** यह प्रावधान तटीय समुदाय के विकास, समुद्र / राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा कार्गो / यात्रियों की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए सहायता, अजूठी नवाचार परियोजनाओं के वित्तपोषण की सहायता के लिए है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत चिन्हित इस परियोजना से बुनियादी ढाँचे के निवेश में 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक जुटने, मॉडल मिश्रण में घरेलू जलमार्ग (अंतर्देशीय और तटीय) का दोगुना हिस्सा, लॉजिस्टिक कोस्ट सेविंग उत्पन्न करने, माल निर्यात को बढ़ावा देने और नई नौकरियां पैदा करने की उम्मीद है।
- पोत निर्माण, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता:** यह प्रावधान पोत निर्माण के लिए अनुसंधान और विकास योजनाओं के लिए अनुदान देने के लिए है। इसमें रक्षा से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शिपयार्ड को छोड़कर सभी भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता का भुगतान भी शामिल है।
- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान:** भारतीय के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) को अक्टूबर, 1986 में जहाजरानी और नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और नियमन के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित किया गया था। आईडब्ल्यूआई मुख्य रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) के बुनियादी ढाँचे के विकास और विनियमन का कार्य करता है। राष्ट्रीय जलमार्गों में अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) विकास गतिविधियों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- आईडब्ल्यूआई परियोजना:** यह प्रावधान भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की ई ए पी परियोजनाओं के लिए है, जिसमें जेएमवीपी के तहत विभिन्न उप-परियोजनाओं का कार्यान्वयन और शुभारंभ शामिल हैं। इसमें (i) एमएमटी, वाराणसी का निर्माण (ii) एमएमटी, साहिबगंज का निर्माण; (iii) फरक्का में नए नेविगेशन लॉक का निर्माण; (iv) एमएमटी, हल्दिया का निर्माण; (v) वाराणसी- गाजीपुर के बीच 2.2 मीटर, गाजीपुर - बाढ़ के बीच 2.5 मीटर और बाढ़ - हल्दिया के बीच 3.0 मीटर की सुनिश्चित गहराई; (vi) रो-रो टर्मिनलों का विकास; (vii) आरआईएस और डीजीपीएस सहित सूचना और संचार सुविधाएं और अन्य अधीनस्थ घटक; शामिल हैं;
- महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण:** ये प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ प्राधिकरण की स्थापना के लिए अनुदान हैं।

- कोलकाता पत्तन न्यास:** यह कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा हल्दिया जलमार्ग और हुगली नदी में अनुरक्षण और तलकषण हेतु सस्बिडी के भुगतान के लिए है।
- शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड:** यह प्रावधान भारत में मालदीव और मालदीव-कोचीन-तूतीकोरिन-माले मार्ग में भात और मिनिकाम के कार्गो और यात्री सेवाएं की स्थापित करने के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।
- नौवहन महानिदेशालय:** यह प्रावधान नौवहन महानिदेशालय जो मर्चेट नौवहन अधिनियम, 1958 के तहत एक सांविधिक प्राधिकरण है, के स्थापना व्यय के लिए है। यह मर्चेट नौवहन कानूनों से संबंधित सभी मामलों के लिए विनियामक कार्य करता है। यह निदेशालय नाविकों के कल्याण का कार्य भी करता है। यह प्रावधान समुद्री आपातकालीन निधि तथा डीजी नौवहन ऑनलाइन परीक्षा संबंधी व्यय जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी शामिल है, के प्रशासन के लिए भी है।
- दीप स्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय:** दीपस्तंभ और दीपपोत संगठन सरकार का एक अधीनस्थ संगठन है जो दीपपोत, ध्वनि संकेत, बायोज, रेडिओ संकेत आदि जैसे नौसंचालन सहायता प्रदान करता है। यह दीपस्तंभों के निर्माण और अनुरक्षण तथा पोतों के मार्गनिर्देशक का कार्य भी की करता है। पूंजीगत प्रावधान दीपस्तंभों और अन्य नौसंचालन साधनों का निर्माण और विकास के लिए है। इसे भारतीय दीपस्तंभ अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार संग्रही दीप शुल्कों से पूरा किया जाता है। व्यय वसूली और प्राप्ति से पूरा किया जाता है।